

प्रेस- विज्ञप्ति

आज दिनांक- 03.03.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स में स्थित स्टोर के सामानों का निरीक्षण, गैस गोदाम का निरीक्षण, पुलिस लाइन्स के आवासीय परिसर में हो रहे पेन्टिंग व मरम्मत के कार्यों का निरीक्षण, पुलिस क्लब में हो रहे निर्माण/मरम्मत का निरीक्षण, आरटीसी बैरक, लाइब्रेरी का निरीक्षण व अन्य स्थानों की साफ-सफाई आदि का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये।

थाना कोतवाली नगरचोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये आभूषण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादी श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम दास अग्रवाल निवासी करतालपुर बाईपास निकट जी0डी0 ग्लोबल स्कूल सरायमन्दराज करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी अपने घर पर रखा गहना सोना, चांदी व रूपया जिसको दिनांक 18.02.2023 को महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के बाद सुरक्षित आलमारी में रखा गया था, परन्तु दिनांक 02.03.2023 को जब चेक किये तो आलमारी में रखा सोना चांदी व रूपया गायब है, के सम्बन्ध में दाखिल किये। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 104/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 03.03.2023 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराहियान के मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त 01. उत्कर्ष सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम सिंहोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष 02. राहुल सिंह पुत्र सूर्यप्रकाश सिंह ग्राम हरौरामपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को समय 10.45 बजे करतालपुर तिराहे के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण – मु0अ0सं0 104/23 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

01. उत्कर्ष सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम सिंहोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
02. राहुल सिंह पुत्र सूर्यप्रकाश सिंह ग्राम हरौरामपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

बरामद

दो नग कंगन पीली धातु, चूड़ी चार नग पीली धातु, चैन दो नग पीली धातु, झुमका दो नग पीली धातु व चांदी सिक्का 10 नग व एक अदद चार पहिया वाहन

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 धर्मराज यादव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली नगर आजमगढ़
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र हे0का0 सतीश कुमार यादव हे0का0 लक्ष्मण सिंह का0 राहुल कुमार राम , का0 राजन कुमार थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

थाना कोतवाली जीयनपुरथाने का हिस्ट्रीशीटर अबैध तमन्चा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 03/03/2023 को व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान खतीबपुर जाने वाले मार्ग नहर पुलिया के पास से समय 10.35 बजे अभियुक्त H.S. न0- 68ए फखरे आलम उर्फ फखरू उर्फ लल्ली पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किय गया। उपरोक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 137/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 137/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – H.S. न0- 68ए फखरे आलम उर्फ फखरू उर्फ लल्ली पुत्र बदरूद्दीन निवासी कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	137/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
2	114/2018	3/5/8 गोबध अधिनियम	जीयनपुर	आजमगढ़
3	115/2023	4/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
4	94/19	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

बरामदगी – एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त - फखरे आलम उर्फ फखरू उर्फ लल्ली पुत्र बदरूद्दीन निवासी कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

थाने का टाप-10 अपराधी हिस्ट्रीशीटर मनीष मौर्य अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- थाना क्षेत्र के ग्रामवासियों व आस पास के लोगो तथा थाना स्थानीय के आपराधिक अभिलेखीय अवलोकन से भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मनीष मौर्य पुत्र स्व0 इन्दराज मौर्या निवासी शाहपुर मैलानी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है अपने पास अवैध तमन्चा लेकर घूमता है। अभियुक्त थाना स्थानीय पर टाप टेन का अपराधी है तथा हिस्ट्रीशीटर है। अभियुक्त के विरुद्ध कुल 21 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत है। आज दिनांक 03.03.2023 को उ0नि0 जाफर खां द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ उ0नि0 के फर्द के आधार पर मु0अ0सं0 47/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा आज दिनांक 03.03.2023 को समय 10.30 बजे पहलवानपुर से दुल्लहपार पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मनीष मौर्य पुत्र स्व0 इन्दराज मौर्या निवासी शाहपुर मैलानी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 47/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 380/2017 34/379/411/414/419/420/467/468/471 भादवि कप्तानगंज आजमगढ़
- मु0अ0सं0 12/2018 34/379/411/414/419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली आजमगढ़
- मु0अ0सं0 480/2017 34/379/411/414/419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली आजमगढ़
- मु0अ0सं0 506/2017 34/379/411/414 भादवि कोतवाली आजमगढ़
- मु0अ0सं0 137/2016 8/20 एनडीपीएस एक्ट निजामाबाद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 82/2020 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट महाराजगंज आजमगढ़
- मु0अ0सं0 204/2018 392/411 भादवि महाराजगंज आजमगढ़
- मु0अ0सं0 212/2018 3/25 आर्म्स एक्ट महाराजगंज आजमगढ़
- मु0अ0सं0 59/2012 394 भादवि अतरौलिया आजमगढ़
- मु0अ0सं0 172/2012 120बी/302 भादवि कन्धरापुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 228/2013 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट कन्धरापुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 264/2012 120बी/147/148/149/302/307 भादवि कंधरापुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 468/2012 3/25 आर्म्स एक्ट कन्धरापुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 989/2010 392 भादवि रानी की सराय आजमगढ़
- मु0अ0सं0 03/2011 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट सिधारी आजमगढ़
- मु0अ0सं0 1353/2010 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट सिधारी आजमगढ़
- मु0अ0सं0 1357/2010 419/420/467/468/471 भादवि सिधारी आजमगढ़
- मु0अ0सं0 1356/10 धारा 41/411/414 भादवि सिधारी आजमगढ़
- मु0अ0सं0 1217/12 धारा 307 भादवि राबर्टसगंज सोनभद्र
- मु0अ0सं0 224/19 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि व 7CLA एक्ट परसुरामपुर बस्ती
- मु0अ0सं0 72/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट परसुरामपुर बस्ती
- मु0अ0सं0 47/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जाफर खां मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

थाना-मेंहनाजपुर

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक.02.3.2023 को वादिनी मुकदमा मेंहनाजपुर ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी धर्मराज पुत्र हरिश्चन्द्र उर्फ चन्दू राम निवासी कुरेहरा तेजसिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33 /2023 धारा 376 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.03.2023 को उ0नि0 श्यामबदन यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मराज पुत्र हरिश्चन्द्र उर्फ चन्दू राम निवासी कुरेहरा तेजसिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को इटैली तिराहे के पास समय 12.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 33 /2023 धारा 376 भादवि थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मु0अ0सं0 33 /2023 धारा 376 भादवि थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :- धर्मराज पुत्र हरिश्चन्द्र उर्फ चन्दू राम निवासी कुरेहरा तेजसिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम :- उ0नि0 श्यामबदन यादव यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03/03/2023 को थाना प्रभारी उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम करई मोड के पास से अभियुक्त राममिलन पुत्र स्व0 रमेश गौतम उम्र 40 वर्ष ग्राम दुवावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा .315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय लगभग 06.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. राममिलन पुत्र स्व0 रमेश गौतम ग्राम दुवावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र-40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	112/17	272,273 भादवि व 60 आबकारी अधि0	दीदारगंज	आजमगढ़
2	169/17	272,273 भादवि व 60 आबकारी अधि0	दीदारगंज	आजमगढ़
3	69/20	3/5/7/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
4	70/20	60 आबकारी अधि0	दीदारगंज	आजमगढ़
5	51/23	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

घटनास्थल- करई गांव जाने वाला रास्ता के पास

बरामदगी- एक अदद तमन्चा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी थाना उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

थाना- रौनापार

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- उ0नि0 रामस्वरूप राय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम बनकटा बाजार गोसाईं से समय करीब 4.30 बजे अभियुक्त मय 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 60/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम पप्पू केवट पुत्र गूंगा केवट निवासी सरदौली गरथौली बुढानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 60/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 60/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं 61/16 धारा 60(63)आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 103/21 धारा 3(1) गैंगेस्ट एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-पप्पू केवट पुत्र गंगा केवट निवासी सरदौली गरथौली बुढानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज अभियुक्त के पास से बरामदा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामस्वरूप राय मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना- दिनांक 01.02.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा वादिनी की नाबालिक लड़की उम्र 17 वर्ष के साथ राहुल चौहान पुत्र धर्मराज चौहान निवासी ग्राम पुषड़ा आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर शारिरिक सम्बन्ध बनाने तथा गर्भवती हो जाने पर डरा धमका कर गर्भपात कराने की सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0041/2023 धारा 376/313/506 भादवि व 4/3 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 03.03.2023 को निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल चौहान पुत्र धर्मराज चौहान निवासी ग्राम पुषड़ा आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पुर्वाचल एक्स प्रेसवे के नीचे पुसड़ा आयमा मोड़ के पास समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- राहुल चौहान पुत्र धर्मराज चौहान निवासी ग्राम पुषड़ा आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 0041/2023 धारा 376/313/506 भादवि व 4/3 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़